

08/03/23

वादी द्वारा जलिये अधिवक्ता उपस्थित होकर
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आज दिनांक
08/03/2023 को पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि -
वादी प्रकरण को विद्वा करना चाहता है, तथा
उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है।
इसलिए उक्त प्रकरण को लोक अदालत की -
भाषना से विद्वा किया जाना आवश्यक है।
आवश्यक है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वा
स्वीकार किया जाकर वाद का वाद पत्र विद्वा
किया जाता है। पत्रावली फैसला सुनार होकर
पाद लेख भठारा है।

उप जिला कलक्टर
लवाण

